न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट तारानगर जिला चुरू

पीठासीन अधिकारी	अजयदीप सिंह, आर.जे.एस.
नम्बरी फौजदारी संख्या	278/2018
CIS NO.	278/2018
CNR NO.	RJCH110006512018
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०	116/2018
अंतर्गत धारा	379, 411, 471 भारतीय दण्ड संहिता
पुलिसथाना	तारानगर, चूरू

राजस्थान राज्य

---अभियोगी

बनाम

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र जयवीर उम्र 24 साल निवासी भैसली पुलिस थाना हमीरवास जिला चूरु।
2. अमीन खान पुत्र मूंगे खान उम्र 23 साल निवासी भैसली पुलिस थाना हमीरवास जिला चूरु।

---अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 379, 411, 471 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः-

1. श्री गोविन्द सिंह, विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य।
2. श्री पवन कुमार यादव, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण।

Date of Offence	16.05.2018
Date of FIR	17.05.2018
Date of Chargesheet	01.06.2018
Date of Framing Charges	21.06.2018
Date of Commencement evidence	22.10.2018
Statement u/s 313 Cr.P.C. Recorded on	16.03.2026
Arguments heard on	16.03.2026

Date of the Judgement	16.03.2026

निर्णय दिनांक 16.03.2026

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी रघुवीर सिंह ने दिनांक 17.05.2018 को थानाधिकारी पुलिस थाना तारानगर के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 16.05.2018 को वक्त करीब रात्रि 12 बजे वह अपनी गाड़ी बोलेरो कैम्पर आरजे 10 जीए 8998 इन्जन नं. 1 जी35823 चैसिस नं. 1 जी30700 को अपने घर के आगे बने होटल के टिन शेड के नीचे खड़ी कर सो गया था। जब उसने सुबह उठकर अपनी गाड़ी को को सम्भाला तो उसे उसकी गाड़ी नहीं मिली जो रात्रि के वक्त कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया। सुबह उसने इधर उधर काफी तलाश व पुछताछ की लेकिन उसकी गाड़ी का कोई पता नहीं चला ।....आदि आदि।

2. उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस थाना तारानगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 116/2018 अंतर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण नरेन्द्र सिंह व अमीन खान के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 379, 411, 471 भारतीय दंड संहिता न्यायालय में संस्थित करने पर अभियुक्तगण नरेन्द्र सिंह व अमीन खान के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 379, 411, 471 भारतीय दंड संहिता का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण नरेन्द्र सिंह व अमीन खान के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 379, 411, 471 भारतीय दंड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्तगण ने आरोपों को सुन समझकर आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाह पेश कर साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गईः–

Rank	**Name**	**Nature of evidence**

पी.डब्ल्यू. 1	रघुवीर सिंह	परिवादी
पी.डब्ल्यू. 2	महेन्द्र सिंह	मालखाना इंचार्ज पीएस बहल
पी.डब्ल्यू. 3	सुरेन्द्र कुमार	तस्दीक घटनास्थल
पी.डब्ल्यू. 4	राकेश	तस्दीक घटनास्थल
पी.डब्ल्यू. 5	हनुमान सिंह	मालखाना इंचार्ज पीएस तारानगर
पी.डब्ल्यू. 6	सुनिल कुमार	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 8	भरत सिंह	थानाधिकारी पीएस तारानगर

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाएः–

क्रम संख्या	दस्तावेज का विवरण	प्रदर्शित करवाने वाले गवाह
प्रदर्श पी 1	मुकदमा दर्ज बाबत प्रार्थना पत्र	पी.डब्ल्यू 01
प्रदर्श पी 2	एफ.आई.आर.	पी.डब्ल्यू 01
प्रदर्श पी 3	नक्शा मौका	पी.डब्ल्यू 01
प्रदर्श पी 4	फर्द जब्ती	पी.डब्ल्यू 01
प्रदर्श पी 5	आरसी की प्रमाणित प्रति	पी.डब्ल्यू 01
प्रदर्श पी 6	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	पी.डब्ल्यू 02
प्रदर्श पी 7	गाड़ी सुपुर्दगीनामा की प्रमाणित प्रति	पी.डब्ल्यू 02
प्रदर्श पी 8	फर्द तस्दीक घटनास्थल	पी.डब्ल्यू 03
प्रदर्श पी 9	फर्द तस्दीक घटनास्थल	पी.डब्ल्यू 03
प्रदर्श पी 10	रोजनामचा की प्रमाणित प्रति	पी.डब्ल्यू 04
प्रदर्श पी 11	रोजनामचा की प्रमाणित प्रति	पी.डब्ल्यू 04
प्रदर्श पी 12	रोजनामचा की प्रमाणित प्रति	पी.डब्ल्यू 04
प्रदर्श पी 13	रोजनामचा की प्रमाणित प्रति	पी.डब्ल्यू 04

प्रदर्श पी 14	मालखाना रजिस्टर	पी.डब्ल्यू 05
प्रदर्श पी 15	मुलजिम की सूचना बाबत तहरीर	पी.डब्ल्यू 06
प्रदर्श पी 16	बोलेरो जब्ती की प्रमाणित प्रति	पी.डब्ल्यू 06
प्रदर्श पी 17		पी.डब्ल्यू 06
प्रदर्श पी 18	आरोपी नरेन्द्र के पूछताछ नोट की प्रमाणित प्रति	पी.डब्ल्यू 06
प्रदर्श पी 19	आरोपी अमीन खां के पूछताछ नोट की प्रमाणित प्रति	पी.डब्ल्यू 06
प्रदर्श पी 20	रिमांड कागजात की प्रमाणित प्रति	पी.डब्ल्यू 06
प्रदर्श पी 21	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	पी.डब्ल्यू 06
प्रदर्श पी 22	एफआईआर की प्रमाणित प्रति	पी.डब्ल्यू 06
प्रदर्श पी 23	दस्तावेज प्राप्त करने बाबत तहरीर	पी.डब्ल्यू 06
प्रदर्श पी 24	फर्द गिरफतारी अमीन खां	पी.डब्ल्यू 06
प्रदर्श पी 25	चैक लिस्ट अमीन खां	पी.डब्ल्यू 06
प्रदर्श पी 26	फर्द गिरफतारी नरेन्द्र	पी.डब्ल्यू 06
प्रदर्श पी 27	चैक लिस्ट नरेन्द्र	पी.डब्ल्यू 06
प्रदर्श पी 28	तस्दीक बाबत इत्तला आरोपी नरेन्द्र	पी.डब्ल्यू 06
प्रदर्श पी 29	तस्दीक बाबत इत्तला आरोपी अमीन खां	पी.डब्ल्यू 06
प्रदर्श पी 30	रोजनामचा की नकल	पी.डब्ल्यू 06
प्रदर्श पी 31	रोजनामचा की नकल	पी.डब्ल्यू 06

6. अभियुक्तगण नरेन्द्र सिंह व अमीन खान का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता किया गया तो अभियुक्तगण ने गवाहान द्वारा दी गई साक्ष्य का गलत होना जाहिर करते हुए कथन किया कि उन्होंने उक्त प्रकरण से संबंधित तथ्यों पर लोहारू न्यायालय में अन्वीक्षा भुगत ली है व दोषमुक्त हो चुके हैं व उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई में नरेंद्र सिंह को डी.ड. 1 व आमीन खां को डी.ड. 2 के रूप में परीक्षित करवाया व दस्तावेजी

साक्ष्य में लोहारू न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रदर्श डी 1 के रूप में प्रदर्शित करवाई।

7. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 379, 411, 471 भारतीय दंड संहिता संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाकर उचित कारावास के दण्ड से दण्डित किया जावे तथा अपने कथनों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किएः–

1. AIR 2007 SC Page 2257 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ओमप्रकाश,

2. SCC 2012(5) Page 216 हीरालाल पाण्डे बनाम उत्तरप्रदेश राज्य,

3. Cr.L.R. 2000 (राज.) 613 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम हीरालाल एवं अन्य,

4. SCC 2012 4 SC Page 722 गोविन्द राजू उर्फ गोविन्दा बनाम राज्य,

5. Cr.L.R. 2000 511 SC परमजीत बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा with महीन्द्र सिंह बनाम स्टेट।

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस कथन किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराए गए स्वतंत्र गवाहान ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित तथ्यों की पुष्टि न्यायालय के समक्ष नहीं की है। ना ही घटना का कोई चक्षुदर्शी गवाह है। इसके अतिरिक्त हाजा प्रकरण के तथ्यों से ही संबंधित मुलजिमान पर एक एफ.आई.आर. नम्बर 87/2018 पुलिस थाना बहल में दर्ज की गई थी, जिसका न्यायिक मजिस्ट्रेट लोहारू के समक्ष मुकदमा नम्बर 122/2018 के रूप में विचारण हुआ, जहां मुलजिमान को दोषमुक्त घोषित किया गया है व निवेदन किया कि एक ही तथ्यों पर मुलजिमान के विरुद्ध विचारण किया जाना धारा 300(1) सीआरपीसी व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) की रोशनी में न्यायोचित नहीं है व निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष मुलजिमान के

विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

9. उभय पक्षों की बहस के तर्कों का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन किया।

10. **हस्तगत प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:–**

1. क्या मुलजिमान नरेन्द्र सिंह व अमीन खान ने दिनांक 16 व 17.05.2018 को मध्य रात्रि में किसी समय तारानगर में राजगढ रोड़ स्थित होटल पर टीनशेड के नीचे खड़ी परिवादी रघुवीरसिंह की बोलेरो कैम्पर गाड़ी नंबर आरजे 10 जीए 8998 को उसकी अनुमति के बिना हटाकर चुरा लिया?

(धारा 379 भारतीय दंड संहिता)

2. क्या मुलजिमान नरेन्द्र सिंह व अमीन खान ने क्या मुलजिमान नरेन्द्र सिंह व अमीन खान ने दिनांक 16 व 17.05.2018 को मध्य रात्रि में किसी समय तारानगर में राजगढ रोड़ स्थित होटल पर टीनशेड के नीचे खड़ी परिवादी रघुवीरसिंह की बोलेरो कैम्पर गाड़ी नंबर आरजे 10 जीए 8998 को चोरी की सम्पति जानते हुए बेईमानीपूर्वक अपने कब्जे में रखा?

(धारा 411 भारतीय दंड संहिता)

3. क्या मुलजिमान नरेन्द्र सिंह व अमीन खान ने दिनांक 16 व 17.05.2018 को मध्य रात्रि में किसी समय तारानगर में राजगढ रोड़ स्थित होटल पर टीनशेड के नीचे खड़ी परिवादी रघुवीरसिंह की बोलेरो कैम्पर गाड़ी नंबर आरजे 10 जीए 8998 की नंबर प्लेट हटाकर उसके स्थान पर कूटरचित की गई नंबर प्लेट एचआर 61बी 9086 को मूल नम्बर प्लेट के रूप में उपयोग लिया?

(धारा 471 भारतीय दंड संहिता)

यदि हां तो अभियुक्तगण के लिए उचित दण्ड क्या हो?

11. उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओ को साबित करने हेतु पेश की गई

अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह पी.ड. 1 रघुवीर सिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 16.05.18 की बात है। उसके पास एक बोलेरों कैंपर आरजे 10 जीए 8998 थी जो उसके नाम से रजिस्टर्ड है। उक्त गाडी को उसने उस रोज रात्रि बारह बजे अपने घर के आगे बने होटल के टिन शैड के नीचे खडा कर सो गया था। सुबह उठकर देखा तो उसके गाड़ी उसे नहीं मिली। इधर उधर काफी तलाश किया लेकिन कोई अज्ञात व्यक्ति रात्रि में उसकी गाडी चुरा ले गया। उस घटना की उसने एफआइआर उसी रोज शाम को की थी। जिसका आवेदन प्रदर्शपी 1 है। ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एफआइआर प्रदर्शपी 2 है, ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस घटना स्थल देखने आई थी। नक्शा मौका प्रदर्शपी 3 बनाया था, ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। उसकी चोरीशुदा गाडी पुलिस थाना बहल हरियाणा में पुलिस ने जप्त कर ली थी, जिस पर तारानगर थाना की पुलिस के साथ वह भी बहल गया था जहां कोर्ट के आदेश से पुलिस थाना बहल में उसकी चोरीशुदा गाडी छुडवाने गये थे। तारानगर थाना वालों ने पुलिस थाना बहल में जप्तशुदा उसकी चोरीशुदा गाडी को जरिये फर्द प्रदर्शपी 4 जप्त किया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बहल थानें वालों ने बताया कि उक्त गाड़ी नरेन्द्रसिंह, आमीन खां निवासीगण भैंसली के कब्जे से जप्त की थी। उन लोगों ने उसकी गाड़ी के नंबर प्लेट हटाकर हरियाणा की एक फर्जी नंबर प्लेट एचआर 61 जी 9086 लगा रखी थी। उन्होंने उनके इंजन नंबर व चेसिस नंबर मिलान किये थे। उक्त गाडी उसने उसकी होना शिनाख्त किया था। उसकी उक्त चोरी शुदा गाडी की आरसी की प्रमाणित प्रति प्रदर्शपी 5 है तथा न्यायालय से उसने सुपुर्दगी पर ली हुई है। मुलजिमान नरेन्द्र व आमीन खां उसे जिला जेल भिवानी में मिले थे। उसने उनसे उसकी गाडी क्यों चोरी की यह पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका तो गाडी चुराने का ही धंधा है। वे गाडियां चोरकर आगे बेच देते है तथा उन्हीं रूपयों से उनकी गृहस्थी चलाते हैं। इन्हीं मुलजिमान ने उसकी रात्रि में गाडी चुराई तथा फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बेचने की फिराक में थे। दोनों मुलजिमान आज हाजिर अदालत है।

12. गवाह पी.ड. 2 महेन्द्र सिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 19.05.18 को वह पुलिस थाना बहल (हरियाणा) में एमएचसी के पद पर

तैनात था। उस रोज एएसआई ओमप्रकाश ने उसे मुकदमा सं0 87/18 में जप्त बोलेरो कैंपर बरंग सफेद एचआर 61 बी 9086 नंबर प्लेट लगी हुई। जिसके मुताबिक आर.सी. रजि० नं० आरजे 10 जीए 8998 थे, जो उसे सुपुर्द की थी, जिसको उसने सुरक्षित हालात में मालखाना के थाना परिसर में रखवाया था, जिसका इंद्राज उसने मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 194 पर दर्ज किया था, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्शपी 5 है। उसने उक्त बोलेरो कैंपर गाडी को न्यायालय एसडीजेएम लोहारू के आदेश पर एसआई सुनिल कुमार पीएस तारानगर को दिनांक 21.05.18 को सुपुर्द किया था, जिसका इंद्राज भी उसने मालखाना रजिस्टर कमांक 194 पर कर दिया था। सुपुर्द करने के बाद की मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्शपी 6 है, जिस पर ए से बी वजह सबूत का पृष्ठाकंन, सी से डी सुपुर्दगी का इंद्राज तथा इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। सुनिल कुमार एसआई को गाडी सुपुर्द करने का सुपुर्दगीनामा की प्रमाणित प्रति प्रदर्शपी 7 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी सुनिल कुमार एसआई के हस्ताक्षर है। उक्त बोलेरो कैंपर को जरिये फर्द प्रदर्शपी 4 से अपने कब्जा में लेकर जप्त किया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। वजह सबूत जब तक उसके पास रहा सुरक्षित हालात में रहा।

13. गवाह पी.ड. 3 सुरेन्द्र कुमार ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 24.05.2018 को वह पीएस तारानगर में एफसी के पद पर तैनात था। उस रोज थाना हाजा के प्रकरण एफआईआर 116/2018 धारा 379 आईपीसी के आईओ श्री सुनील कुमार एसआई ने मुल्जिम नरेन्द्र की इत्ला पर उसकी निशानदेही से घटनास्थल का निरीक्षण फर्द तस्दीक घटनास्थल तैयार की थी जो प्रदर्शपी–8 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज इसी प्रकरण के दूसरे अभियुक्तगण आमीन खां की निशानदेही से उसकी इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्शपी–9 उसकी मौजूदगी में तैयार की थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त दोनों तस्दीक घटनास्थल की रवानगी व आमद से संबंधित रौजनामचा की प्रमाणित प्रति प्रदर्शपी–10, 11, 12, 13 है।

14. गवाह पी.ड. 4 राकेश ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक

24.05.2018 को वह पीएस तारानगर में एफसी के पद पर तैनात था। उस रोज थाना हाजा के प्रकरण एफआईआर 116/2018 धारा 379 आईपीसी के आईओ श्री सुनील कुमार एसआई ने मुल्जिम नरेन्द्र की इत्तला पर उसकी निशानदेही से घटनास्थल का निरीक्षण फर्द तस्दीक घटनास्थल तैयार की थी, जो प्रदर्शपी–8 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज इसी प्रकरण के दूसरे अभियुक्त आमीन खां की निशानदेही से उसकी इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्शपी–9 उसकी मौजूदगी में तैयार की थी, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त दोनों तस्दीक घटनास्थल की रवानगी व आमद से संबंधित रौजनामचा की प्रमाणित प्रति प्रदर्शपी–10, 11, 12, 13 है।

15. गवाह पी.ड. 5 हनुमान सिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 21.05.2018 को वह पुलिस थाना तारानगर में एचसी के पद पर तैनात होकर प्रभारी मालखाना था, उस रोज थाना हाजा के एसआई सुनिल कुमार ने अपने द्वारा अनुसंधानित प्रकरण एफआईआर नंबर 116/2018, धारा 379 आईपीसी में जब्तसुदा एक बौलेरो नंबर आरजे10, जीए8998 को मालखाना में रखने हेतु उसे स्पूर्द किया था, जिसका इंद्राज उसने मालखाना रजिस्टर की क्रम सं. 427 दिनांक 21.05.2018 पर ए से बी किया था, तत्पश्चात सी से डी एसआई सुनिल कुमार के हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी14 है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी14ए पत्रावली पर उपलब्ध है।

16. गवाह पी.ड. 6 सुनील कुमार ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 17.05.2018 को वह पीएस तारानगर में पद स्थापित था, उस रोज थाना हाजा के आईसी थाना श्री भरतसिंह ने एफआईआर नंबर 116/2018 धारा 379, आईपीसी का अनुसंधान उसके जिम्मे किया था, दौराने अनुसंधान उसने घटना स्थल पर पहुंच कर घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी3 प्रार्थी रघुवीरसिंह की निशनदेही से तैयार किया था, जिस पर सी से डी उसके व ए से बी प्रार्थी रघुवीरसिंह के, ई से एफ और जी से एच गवाहान महेंद्र कुमार व राकेश शर्मा के क्रमशः हस्ताक्षर है, जिसका हालात मौका विवरण प्रदर्श पी3ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बयान प्रार्थी रघुवीरसिंह के उसके कथनानुसार लेखबद्ध

कर शामिल पत्रावली किए, इस प्रकरण के वाछिंत अभियुक्त नरेंद्रसिंह व अमीनखां भिवानी जेल में बहल थाने के प्रकरण एफआईआर नंबर 87/2018 में न्यायिक अभिरक्षा में होने से भिवानी जैल अधिक्षक को सुचना बाबत तहरीर जारी की थी, जो प्रदर्श पी15 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, प्रदर्श पी15 की पुस्त पर जैल अधीक्षक द्वारा अभियुक्तगण के बाबत सुचना उपलब्ध करवाई थी। बहल थाने के प्रकरण एफआईआर नंबर 87/2018 की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर शामिल पत्रावली की थी, जिसके बोलेरो की जब्ति की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी16 है, आरोपी नरेंद्र की पुछताछ नोट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी18 है, आरोपी अमीनखां के पुछताछ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी19 है, रिमांड कागजात की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी20 है, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी21 है। एफआईआर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी22 है, बहल थाने के उक्त दस्तावेजों को प्राप्त करने बाबत दी गयी तहरीर प्रदर्श पी23 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान के दौरान प्रकरण में वाछित अभियुक्तगण अमीनखां, व नरेंद्र को न्यायालय से प्रोडेक्शन वांरट प्राप्त कर भिवानी जैल से गिरफतार किया था, अभियुक्त अमीन खां की फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी24 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, तथा सी से डी अभियूक्त अमीन खां के हस्ताक्षर है व ई से एफ और जी से एच एफसी रमेश व एफसी प्रतापसिंह के हस्ताक्षर है। अभियुक्त अमीन खां की गिरफतारी से पूर्व कारण गिरफतारी की चैक लिस्ट तैयार की थी, जो प्रदर्श पी25 है, जिस पर ए से बी उसके तथा सी से डी अभियुक्त अमीनखां के हस्ताक्षर है। अभियुक्त नरेंद्र को जरिए फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी26 के भिवानी जैल से गिरफतार किया गया था, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त नरेंद्रसिंह के हस्ताक्षर है, तथा ई से एफ और जी से एच एफसीगण रमेश व प्रतापसिंह के क्रमशः हस्ताक्षर है। अभियुक्त नरेंद्र सिंह की गिरफतारी से पूर्व कारण गिरफतारी की चैक लिस्ट तैयार की गयी थी, जो प्रदर्श पी27 है जिस पर ऐ से बी उसके व सी से डी अभियूुक्त नरेंद्र के हस्ताक्षर है। अभियुक्त नरेंद्र ने गिरफतारी के दौरान चोरी के स्थान की तस्दीक बाबत ईतला दी थी, जिसे लेखबद्ध किया गया था, जो प्रदर्श पी28 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त नरेंद्रसिंह के हस्ताक्षर है। अभियुक्त नरेंद्र की निशान देही से घटना स्थल की तस्दीक की गयी थी, फर्द तस्दीक घटना स्थल प्रदर्श पी8 है, जिस पर ई से एफ उसके व जी से

एच अभियुक्त नरेंद्रसिंह के हस्ताक्षर है, ए से बी और सी से डी एफसी सुरेंद्र व एफसी राकेश के क्रमशः हस्ताक्षर है। अभियुक्त अमीनखां ने गिरफतारी के दौरान चोरी के स्थान की तस्दीक बाबत ईतला दी थी जिसे लेखबद्ध किया गया था, जो प्रदर्श पी29 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त अमीन खां के हस्ताक्षर है। अभियुक्त अमीनखां की निशान देही से घटना स्थल की तस्दीक की गयी थी, फर्द तस्दीक घटना स्थल प्रदर्श पी9 है जिस पर ई से एफ उसके व जी से एच अभियुक्त अमीनखां के हस्ताक्षर है, ए से बी और सी से डी एफसी सुरेंद्र व एफसी राकेश के क्रमशः हस्ताक्षर है। अनुसंधान के दौरान ईस प्रकरण के वजह सबुत एक बौलेरो कैंपर नंबर आरजे10, जीए8998 को न्यायालय लुहारू से आदेश प्राप्त कर जरिए फर्द जब्ति प्रदर्श पी4 के उक्त बोलेरो कैंपर को पत्रावली पर जब्त किया गया था, जिस पर ई से एफ उसके, ए से बी प्रार्थी रघुवीरसिंह के व सी से डी एचसी महेंद्र के हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी14ए प्राप्त कर शामिल पत्रावली की थी जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण से सबधित रोजनामचा की नकल प्रदर्श पी30, प्रदर्श पी31, प्रदर्श पी10, प्रदर्श पी11, प्रदर्श पी12 व प्रदर्श पी13 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्तगण नरेंद्र पुत्र जयवीर जाति जाट, निवासी भैंसली, पीएस हमीरवास, व अमीन खां पुत्र मुगेंखां, जाति तेली, निवासी भैंसली, पीएस हमीरवास के विरूद्ध धारा 379, 411, 471, आईपीसी का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली वास्ते आरोप पत्र थानाधिकारी हरजिंद्रसिंह को सुपुर्द किए थे, जिस पर उन्होंने आरोप पत्र प्रदर्श पी31 श्रीमान न्यायालय में पेश किया था, आरोप पत्र पर ए से बी उसके तथा सी से डी थानाधिकारी श्री हरजिंद्रसिंह के हस्ताक्षर है, जिनका हस्ताक्षर वह साथ कार्य करने से पहचानता है।

17. गवाह पी.ड. 8 भरत सिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 17.05..2018 को वह पुलिस थाना तारानगर में प्रभारी थाना था, उस रोज प्रार्थी रघुवीर ने एक प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी1 उसके समक्ष कार्यवाही हेतु पेश किया था, जिस पर सी से डी कार्यवाही पुलिस के पृष्ठांकन का अंकन होकर ई से एफ उसके तथा ऐ से बी प्रार्थी रघुवीर सिंह के हस्ताक्षर है, जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी2 है, जिस पर सी से डी उसके व ए से बी प्रार्थी रघुवीरसिंह

के हस्ताक्षर है, उक्त प्रकरण एफआईआर नंबर 116/2018, धारा 379 आईपीसी का अनुसंधान एसआई सुनिल कुमार को सुपुर्द किया था।

18. इस प्रकार अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी रघुवीर सिंह द्वारा एक मुकदमा इस आशय का दर्ज करवाया कि उसकी बोलेरो कैंपर नंबर आरजे10 जीए8998 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया, जिस पर पुलिस थाना तारानगर द्वारा बाद अनुसंधान मुलजिमान के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 379, 411, 471 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र पेश किया गया।

19. इस संदर्भ में मुलजिमान ने बचाव लिया है कि हाजा प्रकरण के तथ्यों से ही संबंधित मुलजिमान पर एक एफ.आई.आर. नम्बर 87/2018 पुलिस थाना बहल में दर्ज की गई थी, जिसका न्यायिक मजिस्ट्रेट लोहारू के समक्ष मुकदमा नम्बर 122/2018 के रूप में विचारण हुआ, जहां मुलजिमान को दोषमुक्त घोषित किया गया है व निवेदन किया कि एक ही तथ्यों पर मुलजिमान के विरुद्ध विचारण किया जाना धारा 300(1) सीआरपीसी व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) की रोशनी में न्यायोचित नहीं है व अपनी साक्ष्य सफाई में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट लोहारू द्वारा प्रकरण संख्या 122/2018 अनवानी स्टेट बनाम अमीन खान वगैरह के निर्णय की प्रमाणित प्रति को प्रदर्शित करवाया है।

20. इस संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि परिवादी रघुवीर सिंह द्वारा एक मुकदमा इस आशय का दर्ज कराया गया कि उसकी गाड़ी बोलेरो केंपर नम्बर आरजे 10 जीए 8998 उसके घर के आगे बने होटल के टीन शेड के नीचे से कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया, जिस पर पुलिस थाना तारानगर द्वारा बाद अनुसंधान इस आशय का निष्कर्ष दिया कि उक्त वाहन मुलजिमान इसके नम्बर प्लेट बदलकर एचआर 61 बी 9086 नम्बर प्लेट लगाकर बहल, हरियाणा जाते हुए पुलिस थाना बहल द्वारा गिरफतार कर प्रश्नगत वाहन को मुलजिमान से जब्त किया था व इसी आधार पर मुलजिमान के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 379, 411, 471 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र हाजा न्यायालय के समक्ष पेश किया। इसी क्रम में पुलिस थाना बहल में दर्ज

एफ.आई.आर. नम्बर 87/2018 की प्रति संलग्न पत्रावली है, जिसमें पुलिस थाना बहल द्वारा एक बोलेरो केंपर एचआर 61 बी 9086 को तेज गति व लापरवाही से चलाने पर रोकने पर वाहन के कागजात चैक करने पर वाहन का नम्बर आरजे 10 जीए 8998 होना प्रकट होने पर दोनों मुलजिमान से पूछताछ में उक्त वाहन चोरी का होना स्वीकार करने पर व फर्जी नम्बर प्लेट लगाने पर मुलजिमान को गिरफतार कर अपराध अंतर्गत धारा 279, 336, 379, 411, 420 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहारू के समक्ष पेश किया, जहां मुलजिमान के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण संख्या 122/2018 अनवानी सरकार बनाम अमीन खान वगैरह दिनांक 11.06.2018 को दर्ज किया जाकर प्रकरण का विचारण किया गया व प्रकरण में मुलजिमान के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 336, 379, 411, 420 भारतीय दंड संहिता का आरोप था व बाद विचारण दिनांक 06.08.2025 को दोषमुक्त घोषित किया गया है। प्रस्तुत निर्णय की प्रति से मुलजिमान के विरुद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहारू न्यायालय द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाने व वाहन की चोरी, वाहन के फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर उपयोग में लेने इत्यादि आरोपों पर निर्णय पारित करते हुए मुलजिमान को दोषमुक्त घोषित किया है, जिससे स्पष्ट है कि मुलजिमान द्वारा प्रश्नगत वाहन की चोरी बाबत अन्वीक्षा माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहारू के समक्ष भुगत ली है व दोषमुक्त घोषित हुए हैं। हस्तगत प्रकरण में भी मुलजिमान व प्रश्नगत वाहन को उक्त मुकदमे में गिरफतार व बरामद होने पर ही आरोप प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया है। इसी क्रम में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300(1) का अवलोकन करें तो इसमें अभिनिर्धारित है किः–

''**300. एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना (1)** जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, वह जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक न तो उसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा और न उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप धारा

221 की उपधारा (1) के अधीन लगाया जा सकता था या जिसके लिए वह उसकी उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता था।''

21. इसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) का अवलोकन करें तो इसमें निहित है किः–

''No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once.''

22. इसी क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Chandra Prakash VS State of Rajasthan, S.B. Criminal Misc. Petition No. 2890 of 2013 का अवलोकन करें तो इसमें अभिनिर्धारित है किः–

''7. It is not in dispute that on the same recovery, present petitioner has been charged earlier and convicted in F.I.R. No. 39/96 and looking to the provisions of Section 300 Cr.P.C., this third prosecution on the same facts is abuse of the process of the Court and liable to be quashed.''

23. इसी क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Tej Singh VS State of Rajasthan, S.B. Criminal Misc. Petition No. 1509 of 2016 का अवलोकन करें तो इसमें अभिनिर्धारित है किः–

''3. Learned counsel for the petitioner submitted that the petitioner cannot be tried for one offence twice in two different courts. Even otherwise two FIRs on the same allegation cannot be registered and investigated into.

4. Shri Jitendra Shrimali, learned Public Prosecutor opposed the petition, but could not dispute the fact that with regard to same motor cycle, earlier FIR was registered at the instance of owner of Police Station and charge sheet in that

FIR has already been filed.

5. In view of above, order of cognizance based on the later FIR No. 117/2014 cannot be said to be justified.''

24. इसी क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Suresh Singh VS State of Rajasthan and others, S.B. Criminal Misc. Petition No. 5702 of 2016 का अवलोकन करें तो इसमें अभिनिर्धारित है किः-

''4. F.I.R. under Section 379 Indian Penal Code, 1860 was registered against the petitioner with regard to vehicle bearing registration No. UP-16-V-9546 bearing Chasis No. MAIPL2GBK92A70044 and Engine No. GB84M54457. Charge has been framed against the petitioner in the said case under Section 379 Indian Penal Code, 1860 on 18.2.2015 after presentation of challan. A perusal of Annexure-4 reveals that F.I.R. No. 124 dated 25.11.2009 was registered at Police Station Nechhwa, District Sikar under Section 411 Indian Penal Code, 1860 with regard to vehicle bearing Chasis No. MAIPL2GBK92A70044 and Engine No. GB84M54457. Charge was ordered to be framed against the petitioner under Section 411 Indian Penal Code, 1860 by the trial court after presentation of challan on 9.10.2015.

5. Since, the petitioner was already facing criminal proceedings with regard to theft of the vehicle in question under Section 379 Indian Penal Code, 1860, he could not be tried in second the F.I.R. under Section 411 Indian Penal Code, 1860 with regard to the same vehicle as it would amount to double jeopardy.

6. Hence, this petition is allowed. Impugned orders are set aside. Consequently, petitioner is ordered to be discharged in F.I.R. No. 124 dated 25.11.2009 registered at Police Station Nechhwa, District Sikar under Section 411 Indian Penal Code, 1860."

25. इसी क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Chaman Nayak VS State of Rajasthan, Criminal Misc. (Pet) No. 1134/2017 का अवलोकन करें तो इसमें अभिनिर्धारित है किः–

"6. After hearing learned counsel for the parties and perusing the record of the case, this Court is of the opinion that for the one incident, two proceedings cannot be continued and as the same would amount to double jeopardy which is barred by Article 20 of the Constitution of India. Once it is not disputed that the incident was one than earlier proceedings can continue as per the basic doctrine of resjudicata and ressubjudice which are broadly applicable. Consequently, the petition deserves to be allowed and the proceedings arising out of FIR (CR Case) No.217/2015 registered at Police Station Kuri Bhagtasani, Jodhpur including subsequent proceedings pending in Jodhpur Metropolitan are thus quashed and set aside. Thus, without prejudice to the case on facts and proceedings going on in pursuance of CR No.242/2015 for the offence under Section 379 IPC pending before learned Additional Chief Judicial Magistrate No.1, Kishangarh, the impugned FIR is quashed."

26. इसी क्रम में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Natrajan VS The State, 1991 CriLJ 2329 का अवलोकन करें तो इसमें अभिनिर्धारित है किः–

"9. The sub–section, as extracted above, consists of two limbs. The first limb deals with the case of a person, who has once been tried by a Court of competent jurisdiction for an offence and convicted or acquitted of such offence. Such a person shall not be liable to be tried again for the same offence while such conviction or acquittal remains in force. The case on hand is not at all attracting the first limb of the sub–section. The reason is rather obvious. In the earlier case, the petitioner–accused was tried along with two others for an offence under Ss. 457 and 380, I.P.C. and in the present case, he is now facing prosecution for the offences under Ss. 404 and 408, I.P.C. Since the present prosecution is not for the same offence for which he had been tried earlier, the first limb of sub–sec. (1) cannot be said to be attracted.

10. The second limb of the sub–section deals with the same facts for any other offence for which a different charge from the one made against him might have been made under sub–sec. (1) of S. 221 or for which he might have been convicted under sub–sec. (2) thereof. The principle of this limb of the section is that whether an accused can be tried at one trial for several offences and if he has not been so tried for all the offence, but only for a few, whether he should not be put again in jeopardy for the offences for which he might have been tried at that time; but had not been tried. The expression "might have been made" means "might have been lawfully made". In the case on hand, as already stated, the facts in the earlier prosecution are exactly the same and identical to the facts in the present prosecution. The sordid

fact is that the petitioner–accused had been tried in the earlier case for the offence under Ss. 457 and 380, I.P.C. and he had been acquitted thereof. The verdict of acquittal so rendered was not at all further agitated and still remains in force. In such state of affairs, on the same set of facts, he cannot be charged for the offences under Ss. 404 and 408, I.P.C., inasmuch as the second limb of the sub–sec. (1) of S. 300, Cri.P.C. stares at the face of the investigating agency. In this view of the matter, the petition deserves to be allowed.

11. In the result, the petition is allowed and the criminal proceedings initiated against the petitioner–accused in C.C. No. 319 of 1987 on the file of the Chief Judicial Magistrate, Thanjavur at Kumbakonam shall stand quashed.''

उपरोक्त समस्त न्यायिक दृष्टांतों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया है कि एक ही घटना व तथ्यों के आधार पर मुलजिम का पुनः विचारण नहीं किया जा सकता।

27. उपरोक्त दोनों प्रकरणों के तथ्यों, परिस्थितियों व धारा 300(1) सीआरपीसी के प्रावधानानुसार व उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत की रोशनी से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण व न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहारू के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण, दोनों प्रकरणों में मुलजिमान के विरुद्ध एक ही वाहन को चोरी करने, जिसकी नम्बर प्लेट बदलकर उपयोग में लेने व चोरी के वाहन को अपने कब्जे में रखने के अपराध का आरोप है तथा माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहारू में दर्ज प्रकरण संख्या 122/2018 दिनांक 11.06.2018 को संस्थित किया गया, जबकि हस्तगत प्रकरण दिनांक 21.06.2018 को हाजा न्यायालय में संस्थित किया गया। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहारू में संस्थित प्रकरण में मुलजिमान को जरिए निर्णय दिनांकित 06.08.2025 को दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। लिहाजा उक्त तथ्यों पर ही पुनः मुलजिमान का हाजा न्यायालय में विचारण किया जाकर दंडित किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

28. प्रकरण में सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह उज्र उठाया है कि हाजा न्यायालय के समक्ष मुलजिमान के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 471 भारतीय दंड संहिता के अपराध का आरोप है व उक्त अन्य प्रकरण में उक्त अपराध का आरोप नहीं है। इस संदर्भ में न्यायालय का विनम्र मत है कि हाजा न्यायालय द्वारा मुलजिमान के विरुद्ध प्रश्नगत वाहन की नम्बर प्लेट हटाकर कूटरचना से अन्य नम्बर प्लेट उपयोग में लिए जाने पर धारा 471 भारतीय दंड संहिता का आरोप विरचित किया गया था, जिस बाबत माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहारू द्वारा अपने निर्णय की मद संख्या 15 में उक्त तथ्यों बाबत अपना निष्कर्ष दिया है। इसके अतिरिक्त धारा 300(1) सीआरपीसी में यह अभिनिर्धारित है कि कोई भी व्यक्ति जहां उक्त एक ही तथ्यों पर दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, वहां वह उन्हीं तथ्यों पर पुनः विचारण का भागी नहीं होगा तथा ना ही उन्हीं तथ्यों पर किसी अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा, जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा (1) के अधीन लगाया जा सकता था या जिसके लिए उसे उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में सहायक अभियोजन अधिकारी का उपरोक्त उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

29. परिणामतः पुलिस थाना बहल में दर्ज एफआईआर नम्बर 87/2018 व माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहारू के समक्ष लंबित प्रकरण संख्या 122/2018 व हाजा न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत एफआईआर व प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियां एकसमान होने के कारण उक्त तथ्यों पर पुनः मुलजिम का विचारण किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त पूर्व में संस्थित प्रकरण अनवानी सरकार बनाम अमीन खान आदि, प्रकरण संख्या 122/2018 में मुलजिमान को दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। परिणामतः धारा 300(1) सीआरपीसी व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) को दृष्टिगत रखते हुए मुलजिमान को उनके विरुद्ध आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

30. ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचनानुसार मुलजिमान नरेन्द्र सिंह व अमीन खान को अपराध अंतर्गत धारा 379, 411, 471 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं है।

आदेश

31. अतः अभियुक्तगण 01. नरेन्द्र सिंह पुत्र जयवीर उम्र 24 साल निवासी भैसली पुलिस थाना हमीरवास जिला चूरू, 02. अमीन खान पुत्र मूंगे खान उम्र 23 साल निवासी भैसली पुलिस थाना हमीरवास जिला चूरू को अपराध अंतर्गत धारा 379, 411, 471 भारतीय दंड संहिता में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके अन्तर्गत धारा 437ए दं.प्र.सं. आगामी छह माह तक प्रभावी रहेंगे।

(अजयदीप सिंह)(RJ1230)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
तारानगर जिला चुरू

32. निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(अजयदीप सिंह)(RJ1230)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
तारानगर जिला चुरू